

884
17/9/21

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जून 2015

(भाग 4 (ग))

प्रारूप - सात
(नियम 11 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम और पूरा पता
श्री साई एकेडमी, महू
54 सिग्नल विहार, महू जिला इन्दौर 48000
2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख।
रजिस्ट्रेशन क्रमांक 6146/2002
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मेलन की तारीख
दिनांक 28.05/2002
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची
कार्यकाल तारीख 21.03.2021 से तारीख 20.05.2024

क्र	नाम	पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	श्री गोविन्द सिंह बघेल	श्री मोतिसिंह बघेल	582 भागीरथ पूरा इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर 48000	अध्यक्ष	व्यापार	
2	श्रीमती रश्मि गुप्ता	श्री मनोज गुप्ता	134-135, सुखदेव विहार इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर 48000	सचिव	नौकरी	Rashmi Gupta
3	श्री आषीष गुप्ता	श्री रामप्रकाश गुप्ता	81-82 द्वारकाधीय कॉलोनी इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर	कोषाध्यक्ष	व्यापार	
4	श्रीमती सारिका गुप्ता	श्री मनीष गुप्ता	81-82 द्वारकाधीय कॉलोनी इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर	उपाध्यक्ष	समाजसेवा	
5	श्रीमती शीना गुप्ता	श्री आषीष गुप्ता	81-82 द्वारकाधीय कॉलोनी इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर	सह सचिव	समाजसेवा	
6	श्रीमती नीरु गुप्ता	श्री सदीप गुप्ता	2, रामचन्द्र नगर इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर	सदस्य	नौकरी	
7	श्रीमती उर्मिला गुप्ता	श्री हरिओम गुप्ता	134-135, सुखदेव विहार इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर 48000	सदस्य	समाजसेवा	
8	श्रीमती प्रतिभा सिंह	श्री गोविन्द सिंह	582 भागीरथ पूरा इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर 48000	सदस्य	नौकरी	

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक दिनांक 11/6/2021 के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है। SBIN000615914751108202175128

घोषणा

मैं गोविन्द सिंह बघेल पुत्र श्री मोतिसिंह बघेल आयु लगभग 52 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने के तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी हो रहूँगा।

हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

(बी.एस. सोलंकी)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्मस एवं संस्थाएँ, इन्दौर संभाग,
इन्दौर